दर्ज नहीं हैं। जिला प्रशासन भी इस मामले में चुप है। ये बंगाली शरणार्थी परिवार भारतीय नागरिक बनकर गत चुनावों में मतदान करते रहे हैं। परन्तु अब उन्हें विदेशी बताकर मतदाता सूची से सैंकड़ों के नाम खारिज कर दिये गये हैं। उन्हें सिंचाई सुविधायें भी नहीं दी गई हैं।

केन्द्रीय सरकार से मेरा आग्रह है कि इन बंगाली शरणार्थी परिवारों की सुख सुविधा के लिए अधिक धनराशि जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यक से सीधी प्रदान करें तथा उनके लिए पेयजल, सिंचाई, बैंक-ऋण, चिकित्सालय, विद्यालय, पक्की सड़कों आदि की व्यवस्था स्वयं करें तथा उन्हें मतदान से वंचित न होने दें तथा भूमि के पट्टे अविलम्ब करने के आदेश दें।

(vii) Need for setting up a Commission to consider the problems of beedi workers.

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अंतर्गत अपना विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। वर्तमान में, देश में साठ लाख बीड़ी श्रमिक हैं, उसमें से तीस लाख मध्य प्रदेश में हैं। देश में प्रतिदिन साठ करोड़ बीड़ी का निर्माण होता है, जिसमें से आधा मध्य प्रदेश में।

शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर सात रुपये साढ़े सत्तासी पैसा प्रति हजार है। परन्तु श्रमिकों को केवल चार रुपये मिलते हैं। 3.87 पैसे की कटौती, अनिवार्य, कटौती, सिकाई के पश्चात् की कटौती तथा पत्ती की घटन के कारण हो जाती है।

बीड़ी मालिकों को प्रति हजार बीड़ी बनवाने में 20 रु० 87 पैसा का खर्चा आता है तथा एक हजार बीड़ी की बिक्री की कीमत 25 रुपया है। इस प्रकार बीड़ी मालिक प्रति हजार बीड़ी के पीछे 4 रु० 13 पैसे का मुनाफा तथा 3 रु० 87 पैसे कटौती द्वारा कमाता है।

बीड़ी मालिक प्रतिदिन अड़तालिस लाख रुपये कमाते हैं इसके विपरीत श्रमिक भूख से तड़पता है क्योंकि 4 रुपये में किसी का पेट नहीं भर सकता।

मध्य प्रदेश में बीड़ी मालिकों ने श्रमिकों से पन्द्रह करोड़ रुपया प्रावीडेंट फंड काटा है, परन्तु मात्र एक करोड़ शासन के पास जमा किया। लागबुक रखना कानून में है, परन्तु कोई फर्म नहीं रखती। श्रमिकों के नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ते, क्योंकि उन्हें अनेक लाभ देने पड़ेंगे, जैसे कि महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ।

अतः निवेदन है कि केन्द्रीय शासन बीड़ी सिगार एक्ट, 1966 में संशोधन कर मोबाइल कोर्ट द्वारा सजा तथा अर्थदण्ड का प्रावधान करें तथा एक आयोग गठित कर बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं का सर्वांगीण विचार कर श्रमिकों को शोषण से मुक्त करायें।

(viii) Need for constructing a fly-over over old Kalna Road near Burdwan Railway Station in West Bengal.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYYA (Burdwan) : I would like to draw the attention of the Government to a long-felt need of Burdwan. The Railway Ministry has provided for the construction of a few fly-overs at some important railway signal crossings in several large cities. This will surely increase the speed of the